रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257941
CG-DL-E-16102024-257941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]	नई दिल्ली सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946
No. 581]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ ASHVINA 22, 1946

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि.637 (अ).—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिए गए विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

4. प्रारंभिक गठन:- उक्त अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के पदधारी जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले उक्त पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किए गए माने जाएंगे और उक्त प्रारंभ से पहले उक्त पदों में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, आदेश द्वारा और लिखित में कारण बताते हुए, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप सचिव	01 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- 'क', अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) में स्तर-12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर-11 में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अवर सचिव, जिन्होंने ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की है, प्रोन्नति के लिए पात्र हैं।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण: जहां अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक हो या दो वर्ष हो, जो भी कम हो, और जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर-11 में या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	आयोग -अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो प्रतिनिधि - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. *उप विधि सलाहकार*	01 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा सेवा समूह-‘क’, अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) में स्तर-12	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभागों में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर-11 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि एवं विधायी मामलों का अनुभव हो; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून की स्नातक डिग्री और विधि एवं विधायी मामलों को निपटाने का आठ वर्ष का अनुभव हो; या (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून की स्नातकोत्तर डिग्री और विधि एवं विधायी मामलों को निपटाने का पांच वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	'लागू नहीं होता'	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अवर सचिव	02 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- 'क', अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) में स्तर-11	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: पे-मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर-8 में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अनुभाग अधिकारी जिन्होंने आठ साल की नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति के लिए पात्र हैं। टिप्पण: जहां अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक हो या दो वर्ष हो, जो भी कम हो, और जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स के स्तर-8 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग -अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. अनुभाग अधिकारी	04 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- 'ख', अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में स्तर-08	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) के स्तर-7 में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के वे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति के लिए पात्र हैं। टिप्पण: जहां अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक हो या दो वर्ष हो, जो भी कम हो, और जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या अन्य विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) के स्तर-7 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि एवं विधायी मामलों का अनुभव हो;	प्रतिनियुक्ति द्वारा- विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग -अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री और सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में लेखा या प्रशासन या स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक अनुभाग अधिकारी	6 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' , अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में स्तर-07	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण **1:** केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट है। टिप्पण **2:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	शैक्षणिक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष। (ii) कंप्यूटर में प्रवीणता। टिप्पण 1: सुयोग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक से योग्यता में छूट दी जा सकती है जिसके कारणों का लिखित रूप में उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव से

						संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभागों में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर-6 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (29200-92300 रुपए) के स्तर-5 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iv) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) के स्तर-4 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद दस वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक या कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	01(2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर-06	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट है। टिप्पण **2:** आयु सीमा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण तिथि सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी;

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी; या (iii) हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और अंग्रेजी; या (iv) हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

के रूप में हिंदी; या (v) हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से कोई एक और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरा; और (vi) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: सुयोग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग सरकार/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जाएगी। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर-6 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) कॉलम (7) में विहित शैक्षिक अर्हता और हिंदी से	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग -अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य का कम से कम आठ साल का अनुभव। टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. लेखाकार	02 (2024)* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह- 'ख', अननुसचिवीय	पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर-06	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट। टिप्पण 2: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (यह तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के	आवश्यक अर्हता:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री। (ii) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: सुयोग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है जिसके कारणों का लिखित रूप में उल्लेख किया जाएगा। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले

					लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विहित अंतिम तिथि नहीं होगी)	में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो साल	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा: (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या अन्य विभाग में नियमित आधार पर समनुरूप पद पर हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर-6 या समकक्ष में पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो। (ख) कॉलम (7) में विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हों और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण-1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी	विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - अध्यक्ष; (ii) सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग - सदस्य; (iii) आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य; (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी।		

[फा. सं. आर.21011/3/2022-ईपी-III]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

G.S.R.637 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020, (15 of 2020) the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts in the National Commission for Homoeopathy, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Commission for Homoeopathy (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of the post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.- The incumbents of the posts specified in column (1) of the said Schedule who were appointed on regular basis to the said posts before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and their regular and continuous service in the said posts before the said commencement shall be taken into account for the purpose of seniority, promotion and pension.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Secretary.	04 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group-'A', Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Under Secretary of National commission for Homoeopathy in the Level-11 of pay matrix (Rs.67700-208700) with five years of regular service in the grade are eligible for promotion. Note : where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory organization, Public Sector Undertaking or Universities or recognised Research Institutions as under: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent	Departmental Promotion Committee (for Considering promotion) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy-Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy -Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush- Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

cadre or Department. (b) possessing Bachelor Degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or Administration or Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Statutory Body. Note 1: The Departmental officers in the feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. *Deputy Legal Adviser.*	01 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group- ‘A’, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
By deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertaking or Universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Departments; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-11 in the Pay Matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department and having experience of legal and legislative matters; (b) Possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor Degree in Law from recognised university or Institute and having eight years of experience of handling legal and legislative matters; or	‘Not applicable’.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) Master's Degree in Law from recognised university or Institute and having five years of experience of handling legal and legislative matters. Note 1: The departmental officers in the feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Under Secretary.	02 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group- 'A', Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Section Officers of National Commission for Indian System of Medicine in the Level-8 pay matrix (Rs.47600-151100) with eight years of regular service are eligible for promotion. Note: where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertaking or Universities or recognised Research Institutions as under: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or other Department; or	Departmental Promotion Committee (for Considering promotion) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy - Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy - Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush - Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson,	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) with six years service rendered after appointment to the post on regular basis in the Level-8 in the pay matrix or equivalent in the Parent Cadre or department; (b) possessing Bachelor Degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or administration or establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Statutory Body. Note 1: The Departmental officers in the feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.	National Commission for Homoeopathy - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Section Officer.	04 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group-'B', Non-Ministerial.	Level-08 in the pay matrix (Rs.47600-151100)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By promotion: Assistant Section Officers of National Commission for Homoeopathy in the Level-7 of pay matrix (Rs.44900-142400) with eight years of regular service in the grade are eligible for promotion. Note: where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertaking or	Departmental Promotion Committee (for Promotion) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy -Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy -Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush - Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Universities or recognised research institutions as under: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or other department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the Parent cadre or department; (b) possessing Bachelor Degree from recognised university or Institute having five years of experience in Accounts or Administration or Establishment work in a Government Office or Statutory Body. Note 1: The Departmental officers in the feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Assistant Section Officer.	6 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group-'B', Non-Ministerial.	Level-07 in pay the matrix (Rs.44900-142400)	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. Note 1: Relax able for Government employees in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The Crucial date for determining the age-limit shall the last date for receipts of applications for direct recruitment;	Educational Qualifications: (i) Bachelor's degree or equivalent from any recognised University or Institute. (ii) Computer Proficiency. Note1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for

						them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	two years.	By Direct Recruitment failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By deputation: - Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertaking or Universities or recognised research institutions: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or other Departments; or (ii) with three years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the Parent Cadre or Department; (iii) with six years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the Parent Cadre or Department; (iv) with ten years service rendered after appointment to the post on regular basis in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the Parent Cadre or Department; Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for Confirmation) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy -Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy -Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush -Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Junior Hindi Translator or Junior Translation Officer.	01(2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group-‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-06 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government employees in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The Crucial date for determining the age-limit shall the last date for

					receipts of applications for direct recruitment;

(7)	(8)	(9)	(10)
Educational Qualifications: (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or (ii) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or (iii) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; Or (iv) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; Or (v) Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND (vi) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission Government/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing	Not applicable.	two years.	By Direct Recruitment Failing which by deputation.

the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
By deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the universities or recognised research institutions as under: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or other Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; (b) possessing the educational qualification prescribed under column (7) with at least eight years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa. Note 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for Confirmation) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy - Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy -Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush -Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Accountant.	02 (2024)* Subject to variations dependent on work load.	General Central Service Group- 'B', Non-Ministerial.	Level-06 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Not Applicable.	Not exceeding 30 Years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for	Essential Qualification:- (i) Degree of a recognised University or Institute. (ii) two years experience in Cash, Account and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff

					receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)	Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	two years.	By direct recruitment failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the universities or recognised research institutions as under: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or other Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; (b) possessing the educational qualification prescribed under column (7) with at least eight years' experience in cash, account and budget work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly,	Departmental Confirmation Committee (for Confirmation) Consisting of :- (i) Chairperson National Commission for Homoeopathy - Chairperson; (ii) Secretary, National Commission for Homoeopathy -Member; (iii) One representative not below the level of Joint Secretary or equivalent nominated by Ministry of Ayush -Member; (iv) Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes to be nominated by the Chairperson, National Commission for Homoeopathy -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. R-21011/3/2022-EP-III]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.10.16 15:20:04 +05'30'